न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 734 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बर:-2020 / 01123

अनवान :-

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व पूणराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. घडसरीराम पुत्र पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. विधा पत्नी पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94 / 92 की कुल 11.1410हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के नाम से दर्ज है का देहान्त हो गया है पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के जायज वारिसान है जो पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम दर्ज भूमि के हकदार है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94/92 की कुल 11.1410हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के नाम से दर्ज है का देहान्त हो गया है पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94/92 की कुल 11.1410हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम के नाम से दर्ज है वादी का कथन है कि वादी के पिता पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मघाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 होना साबित है। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94/92 की कुल 11.1410हैक भूमि पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व पूणराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 घडसरीराम पुत्र पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. विधा पत्नी पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 734 सन 2020 निर्णय दिनांक–28/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94/92 की कुल 11.1410हैक भूमि पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व पूणराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 घडसीराम पुत्र पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विधा पत्नी पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 734 सन 2020 निर्णय दिनांक– 04/11/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्याा 94/92 की कुल 11.1410हैक भूमि पूर्णराम उर्फ पूर्णाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner